



न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
पीठासीन अधिकारी :- हरिसिंह लम्बोरा, आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या :- 27/2012

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
धन्नाराम पुत्र श्री लच्छाराम जाति कुम्हार, निवासी कमल जी भटे के पास, बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1. ढगलाराम पुत्र श्री जोराराम 2. नारायणराम पुत्र श्री जोराराम 3. राजेन्द्र पुत्र श्री जोराराम 4. भानाराम पुत्र श्री लच्छाराम जातियान पटेल निवासीगण कमल जी भटे के पास, बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

निर्णय

दिनांक :- 28.06.2017

पत्रावली आज बमुकाम बिलाड़ा प्रस्तुत हुयी। आवाज लगायी गयी। वादी अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-बार आवाजे दिलायी गयी। वादी स्वयं अथवा उसके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसलशुमार व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ़तर हो। निर्णय सरै इजलास सुनाया गया।

(हरिसिंह लम्बोरा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा